

## UAPA के तहत ज़मानत का प्रावधान

### प्रलिस के लिये:

गैर-कानूनी गतविधियों (रोकथाम) अधिनियम, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सर्वोच्च न्यायालय, प्रथम सूचना रिपोर्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो।

### मेन्स के लिये:

नरिणय और मामले, न्यायपालिका, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, गैर-कानूनी गतविधियों (रोकथाम) अधिनियम और संबंधित मुद्दे।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 के [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019 \(CAA\)](#) के वरिध के संबंध में दायर एक [गैर-कानूनी गतविधि \(रोकथाम\) अधिनियम, 1967 \(UAPA\)](#) मामले में कॉन्ग्रेस (राजनीतिक दल) के एक पूर्व पार्षद को जमानत दे दी है।

## नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

- CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन छह गैर-मुसलमि समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
  - दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परमिट के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये दंड नरिदष्टि करते हैं।

## क्या था मौजूदा फैसला?

- अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी, जबकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि **UAPA की धारा 43 डी (5)** में सीमाएँ हैं, इसमें एक ऐसा प्रावधान है जो कि जमानत देना लगभग असंभव बनाता है, क्योंकि यह न्यायिक तर्क के लिये बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है।
  - बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि **UAPA की धारा 43डी** केवल प्रतबंध लगाती है, जबकि इसमें जमानत देने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने संबंधी प्रावधान नहीं है।

## UAPA में जमानत संबंधी प्रावधान और मुद्दे:

- UAPA** के साथ प्रमुख समस्या इसकी **धारा 43 डी(5) में नहिती है, जो किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रहिा करने से रोकता है**, इस मामले में यदापुलिस ने आरोप-पत्र दायर किया है कयिह मानने के लिये उचित आधार हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, तो जमानत नहीं दी जा सकती।
  - धारा 43 (डी) (5)** का प्रभाव यह है कि एक बार जब पुलिस किसी व्यक्ति पर **UAPA** के तहत आरोप लगाने का विचार करती है तो जमानत देना बेहद मुश्किल हो जाता है। जमानत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी है।
- यह प्रावधान न्यायिक तर्क के लिये बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है तथा **UAPA** के तहत जमानत देना लगभग असंभव बना देता है।
  - जहूर अहमद शाह वटाली** के मामले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वर्ष 2019 में पुष्टि की कि अदालतों को राज्य के मामले को उसकी योग्यता की जाँच किये बिना स्वीकार करना चाहिये।
  - हालाँकि अदालतों ने इस प्रावधान को अलग तरीके से पढ़ा है जिसमें एक त्वरति परीक्षण के अधिकार पर जोर दिया गया है तथा राज्य के लिये **UAPA** के तहत एक व्यक्ति के लिये मानदंडों को और सशक्त बनाया गया है।

## गैर-कानूनी गतविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967

- UAPA** को 1967 में अधिनियमित किया गया था तथा बाद में वर्ष 2008 और 2012 में सरकार द्वारा आतंकवाद वरिधी कानून के रूप में मज़बूत किया

गया।

- अगस्त, 2019 में संसद ने अधिनियम में प्रदान किये गए कुछ वशिष्ट आधाराओं पर किसी वशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन** अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी।
- आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिये यह सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से अलग है और एक असाधारण कानून बनाता है जहाँ अभियुक्तों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कम कर दिया जाता है।
- वर्ष 2016 और 2019 के बीच, जिस अवधि के लिये **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)** द्वारा UAPA के आँकड़े प्रकाशित किये गए हैं, UAPA की वभिन्न धाराओं के तहत कुल 4,231 **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज की गई थीं, जिनमें से 112 मामलों में दोषसिद्धि हुई है।
  - UAPA लगातार यह इंगित करता है कि भारत में अतीत में अन्य आतंकवाद वरिधी कानूनों जैसे-**पोटा (आतंकवाद रोकथाम अधिनियम) 2002 और टाडा (आतंकवादी और वधितनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम) 1987** की तरह इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है।
- **UAPA से संबंधित मुद्दे**
  - किसी अपराध को "आतंकवादी कृत्य" कहने के लिये विशेष प्रतविदक के अनुसार, तीन तत्त्वों का एक साथ होना आवश्यक है:
    - आपराधिक कृत्य में उपयोग किये गए साधन घातक होने चाहिये।
    - कृत्य के पीछे की मंशा समाज के लोगों में भय पैदा करना या किसी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन को कुछ करने या कुछ करने से परहेज के लिये मजबूर करना होना चाहिये।
    - उद्देश्य एक वैचारिक लक्ष्य को आगे बढ़ाना होना चाहिये।
  - दूसरी ओर, UAPA "आतंकवादी गतिविधियों" की व्यापक और असपष्ट परिभाषा प्रदान करता है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट लगना, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि भी शामिल है।
- **आतंकवादी गतिविधियों की असपष्ट परिभाषा:** UAPA के तहत "आतंकवादी गतिविधि" की परिभाषा आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष प्रतविदक द्वारा प्रचारित परिभाषा से काफी भिन्न है।
- **लंबित मुकदमे: भारत में न्याय वितरण प्रणाली की स्थितिको देखते हुए लंबित मुकदमों की दर औसतन 95.5 प्रतिशत है।**
  - इसका मतलब यह है कि हर साल 5 प्रतिशत से कम मामलों में मुकदमा चलाया जाता है, जिस कारण आरोपियों को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है।
- **स्टेट ओवररिच:** इसमें "धमकी देने" या "लोगों में आतंक का डर पैदा करने" जैसा कोई भी कार्य शामिल है, जो सरकार को इन कृत्यों के आधार पर किसी भी सामान्य नागरिक या कार्यकर्ता को आतंकवादी साबित करने के लिये असीम शक्ति प्रदान करता है।
  - इस प्रकार राज्य खुद को संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में अधिक अधिकार देता है।
- **संघवाद के महत्त्व को कम आँकना:** यह देखते हुए कि 'पुलिस' भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। कुछ वशिष्टजनों का मानना है कि यह संघीय ढाँचे के खिलाफ है क्योंकि यह आतंकवाद के मामलों में राज्य पुलिस के अधिकार की उपेक्षा करता है।

## आगे की राह

- कथित दुरुपयोग के मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच करने हेतु न्यायपालिका की बड़ी भूमिका है। **न्यायिक समीक्षा** के माध्यम से कानून के तहत मनमानी और व्यक्तिपरिकता की जाँच की जानी चाहिये।
- व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किये जाने के खिलाफ अपील करने के अधिकार के तहत, न्यायपालिका को नषिपक्ष प्रक्रिया के मूल सिद्धांत का पालन करना चाहिये और नकली सबूतों का निर्माण करके व्यक्ति को फँसाने संबंधी कार्यपालिका के किसी भी इरादे से सतर्क रहना चाहिये।
- कानून के तहत शक्तियों के किसी भी दुरुपयोग के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिये।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिये राज्य के दायित्व के बीच रेखा खींचना अत्यधिक दुविधा का विषय है। संवैधानिक स्वतंत्रता एवं आतंकवाद वरिधी गतिविधियों की अनविद्यता के बीच संतुलन बनाना राज्य, न्यायपालिका, नागरिक समाज पर निर्भर है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस